भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3441
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2014/21 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)
<u>ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के विरूद्ध शिकायतें</u>

3441. श्री पी. नागराजन :
श्री कीर्ति आजाद :
श्री पशुपति नाथ सिंह :
श्री ए. अनवर राजा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा हाल में देश में विभिन्न ऑनलाइन ई-कामर्स खुदरा विक्रेताओं द्वारा कथित रूप से अपनाई जाने वाली अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के विरूद्ध कोई शिकायतें/प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार/सीसीआई द्वारा इस संबंध में कोई अन्वेषण/जांच किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके निष्कर्ष क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार ई-कामर्स कंपनियों के व्यापार मॉडल और व्यापार प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार द्वारा ई-कामर्स व्यापार की निगरानी करने या विनियमित करने के लिए एक पृथक् नीति/दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं/किए जाने का विचार है और क्या खुदरा और ई-व्यापार में एकरूपता लाने के लिए उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति में शामिल किए जाने की योजना है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख) : जी, हां। ऑनलाइन खुदरा व्यापारियों जैसे फ्लिपकार्ट इंडिया प्रा. लि., जेसपर इनफोटेक प्रा.लि., जेरियन रिटेल्स प्रा. लि., अमेजोन सैलर सर्विसेज प्रा.लि., वेक्टर ई-कॉमर्स प्रा.लि. इत्यादि द्वारा कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण संबंधित मामलों पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों तथा भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को गोल्डक्वेस्ट इंटरनैशनल प्रा.लि. (जिसमें उनकी ग्रुप कंपनी क्वेस्ट नेट इंटरप्राइजेज प्रा.ल. शामिल है) तथा एबीसीइंडिया नेटवर्क प्रा. लि. के खिलाफ अभियोजन दायर करने को कहा है। मैसर्स युनिपे2यू ग्रुप ऑफ कंपनी एवं स्पीकएशिया ऑनलाइन प्रा.लि. संबंधी जांच रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) से (ड.) : सरकार द्वारा उपभोक्ता कार्य विभाग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन के रूप में, प्रौद्योगिकी आधारित विपणन ई-कॉमर्स, टेलि मार्केटिंग आदि के उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

*****